यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फई अहकाम

च 103/17 तारीख रजू 4-8-17

उनवान - अविसी बनाम सदस्य वगैरानि

दावा लाबह बयायी लिये बयाजा

के मीओरद्वे से श्री दराज कुमार सिंह एडवोकेट के दावा
बह बयायी लिये बयाजा पेश किया। उसी रोज अदालत
का अगला लोकल किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर
प्रतिवादियो को आदेश से तलब कर
ाक 18-8-17 को पेश हो।

4477-83
4-8-17

दराज कुमार आर्य
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम

आज की पेशी के पेश हुये वादी सहित उप/अधिवक्ता
वीर से-श्री देवेन्द्र कुमार मार्फत श्री सुरेश चंद शर्मा
ने अदालत मजमून पेश किया। अवलोकन करते
10-11-17 को पेशी दी।

दराज कुमार आर्य
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम

दार की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत करने
हेतु अगली तिथि 22-12-17 नयी पेशी दी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:09:39 IST
Reason: SelfAttested

अदालत उप/उपखण्ड पेश होने हेतु 23-2-18 को पेशी
दी।

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी

[illegible]

पत्रावली पेश हुई। आदि तक्षीम उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी आदि तक्षीम एवं परिवाद में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा कानून हपाधी निरोधात्मा अधिनियम एवं आदेश पत्रिका में खारिज किया जाता है। पत्रावली शैलाब कुमार टीकर नायब तहसीलदार कानिल रवाना है।

उर्मिला बलवाद
तहसीलदार (कानिल)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:09:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner